[2019] 6 एस.सी.आर. 938

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त, बैंगलोर

बनाम

मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड

(पूर्व में जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(सिविल अपील संख्या 531/2008)

09 अप्रैल, 2019

**[**एस**.** ए**.** बोबडे**,** दीपाक गुप्ता और **विनीत** सरन**,** न्यायमूर्तिगण**]**

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, *1944 - धारा 4* और *11 क.ख. - प्रत्यर्थी ने पिग आयरन और एच.आर. कॉइल शीट्स का निर्माण किया,* जो अध्याय *72,1985* अधिनियम के तहत आता है *- माल बेचते समय, माल की कीमत में 'धर्मदा' जोड़ कर बीजक बनाए गए थे, जो कि ग्राहकों से जुटाया गया एक धर्मार्थ दान 'धर्मदा' था, जिसे धर्मार्थ में जमा किया गया था -* उपायुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, बेल्लारी द्वारा जारी कारण *बताओ* नोटिस में *प्रत्यर्थी* से कारण बताने के लिए कहा गया था *कि नियम 25, 2002 नियमों के तहत जुर्माना और धारा 11 क.ख., 1944 अधिनियम के तहत ब्याज क्यों नहीं लगाया* जाए - उपायुक्त ने अभिनिर्धारित किया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए धर्मदा को आकलन योग्य मूल्य में जोड़ा जाना चाहिए - आयुक्त *(*अपील*)* ने आदेश की पुष्टि की - सी.ई.एस.टी.ए.टी. ने आदेश को *अपास्त* कर दिया - अपील पर, अभिनिर्धारित किया *गया:* वर्तमान मामले को मेसर्स डी. जे. मालपानी बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नासिक, *[2019] 6* एस.सी.आर. *925* मामले *के साथ चिन्हित* किया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धर्मदा की राशि को मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए लेन-देन मूल्य में शामिल नहीं किया जा सकता है - उक्त निर्णय को देखते हुए, वर्तमान अपील खारिज *की* जाती है - केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, *2002 -* नियम *25 -* केंद्रीय उत्पाद शुल्क *टैरिफ* अधिनियम, *1985 -* अध्याय *72*

याचिका खारिज करते हुए**, न्यायालय** ने

**अभिनिर्धारित किया: 1.1** वर्तमान मामले को मेसर्स डी**.** जे**.** मालपानी बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त**,** नासिक मामले **के साथ चिन्हित किया गया है** जिसे **29.07.2015** दिनांकित आदेश के माध्यम से इस पीठ को भेजा गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि धर्मदा की राशि को मूल्यांकन के उद्देश्यों के लिए लेन**-**देन मूल्य में शामिल नहीं किया जा सकता है। **2005** की सिविल अपील **संख्या 5282,** मेसर्स डी**.** जे**.** मालपानी बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त**,** नासिक के मामले में निर्णय को देखते हुए**,** वर्तमान अपील खारिज कर दी गई है। **[**पैरा **5, 6] [940-डी-ई]**

मेसर्स डी. जे. मालपानी बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नासिक **[2019] 6** एस**.**सी**.**आर**. 925 -** पर **भरोसा किया गया**।

कलेक्टर बनाम पंचमुखी इंजीनियरिंग वर्क्स **(2003) (158)** ई**.**एल**.**टी**. 550 (**एस**.**सी**.) - को** संदर्भित **किया गया**।

**निर्णय विधि सन्दर्भ**

**[2019] 6** एससीआर **925** पर **भरोसा किया** पैरा **6**

**(2003) (158)** ई**.** एल**.** टी**. 550 (**एस**.** सी**.)** **को** संदर्भित **किया** पैरा **4**

सिविल अपीलीय अधिकारिता: 2008 की सिविल अपील संख्या 531

अपील संख्या ई/395/2005 में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, दक्षिण क्षेत्रीय पीठ, बैंगलोर के निर्णय और आदेश संख्या 440/2007 दिनांक 04.4.2007 से।

के. राधाकृष्णन, एस. के. बगारिया, वरिष्ठ अधिवक्तागण, आलोक यादव, के. अजीत सिंह, प्रवीण कुमार, सुश्री निशा बागची, सुश्री अरुणा गुप्ता, बी. कृष्ण प्रसाद, यू. ए. राणा, हिमांशु मेहता, (मेसर्स गागराट एंड कंपनी के लिए), अधिवक्तागण, उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

एस**.** ए**.** बोबडे**, न्यायमूर्ति** 1. राजस्व-अपीलार्थी केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील न्यायाधिकरण (संक्षेप में "सी.ई.एस.टी.ए.टी".) दिनांक 04.04.2007 के आदेश के खिलाफ अपील में आया है। प्रत्यर्थी ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अध्याय 72 के तहत आने वाली वस्तुओं का निर्माण किया। प्रत्यर्थी ने पिग लोहे और एच.आर. कॉइल शीट्स का निर्माण किया। माल बेचते समय उन्होंने माल की कीमत में 'धर्मदा' जोड़ कर बीजक बनाए थे, जो की ग्राहकों से जुटाया गया धर्मार्थ दान था। प्रत्यर्थी के अनुसार, धर्मदा धर्मार्थ के लिए था और तदनुसार धर्मार्थ के लिए जमा कर दिया जाता था।

2. हालांकि, अधिनियम की धारा 4 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, बेल्लारी के उपायुक्त के कार्यालय द्वारा दिनांक 19.03.2004 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें प्रत्यर्थी से यह कारण बताने के लिए कहा गया था कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 25 के तहत जुर्माना और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 क.ख. के तहत ब्याज क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी को सुनने के बाद, उपायुक्त ने दिनांक 10.09.2004 के आदेश के माध्यम से अभिनिर्धारित किया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए धर्मदा को आकलन योग्य मूल्य में जोड़ा जाना चाहिए।

3. इसके बाद, प्रत्यर्थी द्वारा दायर एक अपील में, आयुक्त (अपील) ने उपायुक्त के निर्णय की पुष्टि की और आयुक्त ने अपील को खारिज कर दिया और कहा कि धर्मदा को आकलन योग्य मूल्य में

जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए, माल का मूल्यांकन उनकी कीमत जमा धर्मदा के जोड़ के आधार पर किया जाना था।

सी.ई.एस.टी.ए.टी. ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर एक अपील में, दिनांक 04.04.2007 के निर्णय द्वारा, अपील की अनुमति दी और दिनांक 29.03.2005 के आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया। सी.ई.एस.टी.ए.टी. ने मोहन एंड कंपनी, मद्रास बनाम सी.सी.ई. मद्रास के मामले में अपने निर्णय का पालन करने का इरादा किया, जिसकी अपील में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, जिसके तहत इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि धर्मदा आकलन योग्य मूल्य में जोड़े जाने के लिए उत्तरदायी नहीं था।

4. इसके बाद, इस न्यायालय के समक्ष 2008 की सिविल अपील में, अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि कलेक्टर बनाम पंचमुखी इंजीनियरिंग वर्क्स[1] में हुए निर्णय का पालन किया जाना था। इस प्रकार, यह तर्क देते हुए कहा कि धर्मदा को आकलन योग्य मूल्य का एक हिस्सा होना चाहिए।

5. वर्तमान मामले को मेसर्स डी. जे. मालपानी बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नासिक के मामले के साथ चिन्हित किया गया है, जिसे दिनांक 29.07.2015 के आदेश के माध्यम से इस पीठ को भेजा गया है। हमने अभिनिर्धारित किया है कि धर्मदा की राशि को मूल्यांकन के उद्देश्यों के लिए लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं किया जा सकता है।

6. 2005 की सिविल अपील संख्या 5282, मैसर्स डी. जे. मालपानी बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नासिक, के मामले में निर्णय को देखते हुए, हम एतद्द्वारा वर्तमान अपील को खारिज करते हैं।

दिव्या पांडे याचिका
खारिज कर दी गई।

[1]2003 (158) ई.एल.टी. 550 (एस.सी.)

लाल सिंह, पूर्व ए.डी.जे.